राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांकः 24-08-2012.

परिपत्र

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क की उपधारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत दिनांक 17–06–1999 के बाद के प्रकरणों के लिए तथा नियम 16 के उप–नियम (4) के अन्तर्गत दिनांक 17–06–1999 के पूर्व के प्रकरणों के लिए राज्य सरकार द्वारा दो अलग–अलग अधिसूचनाएं दिनांक 31.07.2012 को जारी की गई है। इस संबंध में कुछ अधिकारियों द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहे जाने पर निम्नप्रकार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

(i) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 90–बी के प्रावधान के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर–कृषि प्रयोजनार्थ नियमन अथवा आवंटन के लिए नियमन दर अथवा रूपान्तरण शुल्क के रूप में राशि वसूल की जाती थी अब उसके स्थान पर दिनांक 31.7.2012 को जारी उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा निर्धारित प्रीमीयम दरें वसूल की जायेगी।

(ii) दिनांक 17–06–1999 के बाद के प्रकरणों के लिये नियम–9 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में मद सं. 3, 4, 6 ,7 ,8 एवं 9 पर क्रमशः धार्मिक/आध्यात्मिक संस्थानों, अन्य संस्थानों, औद्योगिक ईकाईयों, पर्यटन ईकाईयों, जनसुविधाओं, तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिये दरें निर्धारित है, जिनमें *"न्यूनतम आवासीय दर"* का संदर्भ है। इन मामलों में *"न्यूनतम आवासीय दर"* का आशय उस नगरीय क्षेत्र में 80 फीट से कम चौडी सडक पर 200 वर्गगज तक के आवासीय भूखण्ड के लिये निर्धारित प्रीमियम दर से है अर्थात् वर्तमान में (दिनांक 31.03.2014 तक) तालिका–1 में वर्णित नगरीय क्षेत्रों के लिये 100 रू0 प्रति वर्गगज और तालिका–2 में वर्णित नगरीय क्षत्रों के लिये 60 रू0 प्रति वर्गगज न्यूनतम आवासीय दर है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

1